



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122021-232074
CG-DL-E-23122021-232074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4942]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2021/पौष 1, 1943

No. 4942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021/PAUSA 1, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5333(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हासन (कर्नाटक राज्य) से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एलपीजी परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि जिसके नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना राजापुर मंडल, जिला महबूबनगर, तेलंगाना राज्य से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितद्व है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के लिए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के संबंध में श्री बी. वेंकटेश्वरलू, सक्षम प्राधिकारी, हासन - चेरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, मोडयूल न. 202, दूसरा माला, एन.एस.आई.सी.-ई.एम.डी.बी.पी. भवन, कमलानगर, डॉ. ए. एस. रावनगर, ई.सी.आई.एल.(पी.ओ.), हैदराबाद- 500062 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा;

अनुसूची

मंडल: राजापुर		जिला: महबूबनगर		राज्य: तेलंगाना	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकर्स	गुंटा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजापुर	1 ईडगाणपल्ली	307/46	00	10
2			307/49	00	06
3			283	00	10

[फा.सं.आर-12031/2/2019-ओ.आर-आई/(ई-31417)]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5333(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of LPG, Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) pipeline should be laid by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, in Rajapur Mandal of Mahbubnagar District of Telangana State, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein or laying of the pipeline under the land to Shri. B. Venkateshwarlu, The Competent Authority & Deputy Collector, Hassan-Cherlapalli LPG Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Module No.202, Second floor NSIC-EMDBP Building, Kamalanagar, Dr. A. S. Rao Nagar ECIL (P.O) Hyderabad-500062.

SCHEDULE

Mandal: Rajapur		Dist: Mahbubnagar		State: Telangana	
Sl.	No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area
					Acres Guntas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rajapur	1.Edganpalle	307/46	00	10
2			307/49	00	06
3			283	00	10

[F. No. R-12031/2/2019-OR-I/(E-31417)]

P. Soma Kumar, Under Secy.